(b) to (e) Do not arise.

Plans for Direct lending to States by International Financial Institutions

303. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Government are aware that the International Financial Institutions (IFIs) are planning for direct lending to States;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the effect thereof on the stability of the Central Government?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) As per the Constitution of India, foreign loans from International Financial Institutions can only be contracted by the Central Government. The question of direct lending to the States by the International Financial Institutions, therefore, does not arise.

मतदाताओं को पहचान-पत्र दिया जाना

304. **श्री राम जेठमलानी:** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश की वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया में जाली मतदान पर अंकुश लगाने के लिए विगत वर्ष में मतदाताओं को पहचान-पत्र प्रदान करने की एक योजना प्रारम्भ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1996 तक विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने मतदाताओं को पहचान-पत्र प्रदान किए जा चुके थे;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) अब तक इस योजना के क्रियान्वयन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकांत डी० खलप): (क) अगस्त, 1993 में, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के (जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर) मुख्य निर्वाचन आफिसरों को यह निदेश दिए थे कि जाली मतदान रोकने के लिए सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने की व्यवस्था करें।

(ख) ऐसे मतदाताओं की जिन्हें 23-2-1996 तक दोषमुक्त फोटो पहचान पत्र जारी किए गए थे, राज्यवार प्रतिशतता देने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) आयोग ने स्कीम को पूरा किए जाने के लिए अंतिम तारीख के रूप में मूलरूप से 30.11.1994 नियत की थी। तथापि, यह अंतिम तारीख समय-समय पर बढ़ाई गई थी और अंतिम बार इसे 31.3.1996 तक बढ़ाया गया था। आयोग द्वारा अभी कोई नई तारीख नियत नहीं की गई है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्च, 1996 तक स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में 423.3 करोड़ रुपए की राशि दी गई है।

विवरण

ऐसे मतदाता, जिन्हें 23 फरवरी, 1996 तक विभिन्न राज्यों में दोषमुक्त पहचान-पत्र प्रदान किए गए

क्रम०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऐसे मतदाताओं का अनुमानित प्रतिशत, जिन्हें दोषमुक्त पहचान पत्र प्रदान किए गए।
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य
2.	अरूणाचल प्रदेश	57%
3.	असम	शून्य
4.	बिहार	12%